(8)

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना।

(जिला शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

30-04-2013 विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–9–282/2012 में आवेदक **श्री श्वेतांक शेखर**, पिता–श्री देवानन्द राय, सा0–आनन्द निकेतन, को–ऑपरेटिव, सोसाईटी, रोड नं0–15 एच0, पो0–केसरी नगर, थाना–राजीव नगर, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–30.04.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे पुरानी गाड़ियों की खरीद–बिक्री करते हैं। साथ हीं रिलायंस पोस्ट पेड के व्यवसाय से जुड़े हैं। आवेदक की वार्षिक आय 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार) रूपये प्रतिवर्ष है। अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त पत्रांक–462/गो0, दिनांक–21.03.2013 का अवलोकन किया गया। आवेदक के एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। अपर पुलिस अधीक्षक, विधि–व्यवस्था, पटना द्वारा अंकित किया गया है कि आवेदक के स्थायी पता ग्राम–देवधा परसा, थाना–हसनपुर, जिला–समस्तीपुर है, जहॉ से इनका चरित्र सत्यापन नहीं हुआ है। पटना जिला में इनका कोई Specific Threat रहने की बात प्रकाश में नहीं आयी है। पुलिस निरीक्षक–सह–थानाध्यक्ष, राजीव नगर द्वारा आवेदक के जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा की गयी है। परन्तु समर्पित प्रतिवेदन की कंडिका–10 अन्तर्गत आवेदक को कोई विशेष सुरक्षा भय होने की बात प्रतिवेदित नहीं की गयी है।

आवेदक के द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर कार्रवाई लंबित रहने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–317/2013 दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक–10.01.2013 को आदेश पारित करते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर चार माह के अन्दर विचार करते हुए अंतिम आदेश पारित करने का निदेश दिया गया है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 की कंडिका–II में एन0पी0बोर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में निदेश अंकित है, जो निम्नवत है :–

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by the State Government/DM concerned. At present, there are no norms for grant of NPB weapons and some State Governments may be issuing arms licences liberally.

कंडिका–II की उप कंडिका–b तथा e निम्नवत है :–

b) No licence may be granted without police verification, which will include report on i) antecedents of the applicant, ii) assessment of the threat, iii) capability of the applicant to handle arms, and iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence.

30/4/13

e) The licensing authority shall be obliged to take into account the report of police authorities called for under section 13 (2) before granting arms licenses and no arms licence may be issued without police verification.

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखें गये तथ्यों, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक श्री श्वेतांक शेखर को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, तथा गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री श्वेतांक शेखर, पिता– श्री देवानन्द राय, सा0–आनन्द निकेतन, को–ऑपरेटिव, सोसाईटी, रोड नं0–15 एच0, पो0–केसरी नगर, थाना–राजीव नगर, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

30/4/10

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

30/4/10

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।